भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्रं. : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं. 0755–2450896

ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

निविदा संदर्भ– 6166 /BSDS/GMPO/54(XXIV)/2023 Date : 13.07.2023

टैंकर से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा सूचना :

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रों से भोपाल डेयरी संयंत्र, प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों की डेयरी संयंत्रों से दूध प्राप्त करने अथवा Supply करने हेतु 12000 कि.ग्रा., 15000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। टैंकरों को किराये पर लगाने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in पर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते है। निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/– जमा करना अनिवार्य है। शर्तो का विस्तृत विवरण www.sanchibhopal.com पर मात्र पाठन के लिये उपलब्ध है। एक अथवा समस्त निविदाये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित रहेगा।

निविदा डाऊनलोड प्रारंभ	निविदा शुल्क	अमानत राशि (रू0)	ऑनलाइन निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय
14.07.2023	1000/–	1.00 लाख	03.08.2023 02.00 PM	04.08.2023 02.00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्रं. : 0755-2478250, 51, 52, 53 फैक्स,नं 0755-2450896 ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

– निविदा दस्तावेज – मूल्य रूपये 1000/– मात्र

ई–निविदा बाबत्	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रो से भोपाल डेयरी संयंत्र, प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों की डेयरी संयंत्रो से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु 12000 कि.ग्रा, 15000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना ।
निविदा संदर्भ	No : 6166 /BSDS/GMPO/54(XXIV) Dt : 13.07.2023
शेड्यूल–I	कार्य का विवरण एवं रोड मिल्क टैंकर की आवश्यकता संबंधी विवरण
शेड्यूल– II	सामान्य शर्तें एवं निविदा
शेड्यूल– III	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्तें
शेड्यूल– IV	तकनीकी विवरण
शेड्यूल– V	दर प्रस्तुतीकरण पत्रक
प्रतिभूति राशि	Rs. 1,00,000
निविदा शुल्क रू.	Rs. 1000/-
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	03.08.2023 दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा प्रस्तुतीकरण	– निविदा एवं समस्त दस्तावेज केवल ऑन लाईन (on line) ही प्रस्तुत किया जाना है।
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	– तकनीकी निविदा दिनांक 04.08.2023 दोपहर 02.00 बजे खोली जावेगी।
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्रं. : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं. 0755–2450896

ई–मेल. gmplant.bsdsm@gmail.com

शेड्यूल–I

संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रो से भोपाल डेयरी संयंत्र, प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के डेयरी संयंत्रो से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु 12000 कि.ग्रा., 15000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों का आमंत्रण।

निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय एवं अन्य सभी प्रकार के खर्चे परिवहनकर्ता को करने होंगे। अतः निविदाकारों द्वारा टैंकर संचालन में लगने वाले सभी व्ययों को समावेश कर रोड मिल्क टैंकर्स की क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें On Line प्रस्तुत की जाये।

रोड मिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रं.	टैकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	12000 कि.ग्रा. (सिंगल चेंबर टैंकर)	दुग्ध शीतकेन्द्रो से भोपाल डेयरी संयंत्र, प्रदेश के अन्य डेयरी संयंत्रो एवं अन्य प्रदेशों के डेयरी संयंत्रो से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु	05
2	15000 कि.ग्रा. (सिंगल चेंबर टैंकर	––''––	04
3	19000 कि.ग्रा. (सिंगल चेंबर टैंकर)	––''––	25

टीप :– मॉग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं –0755–2450896

ई–मेलः gmplant.bsdsm@gmail.com

शेड्यूल– II

दुग्ध परिवहन हेतु ई–निविदा की सामान्य शर्ते एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश :

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई–बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसका प्रारुप संलग्न है।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होगें।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार के नाम का वाहन होना अनिवार्य है अर्थात निविदाकर्ता के नाम या परिवार के आश्रित सदस्य जो वयस्क हो के नाम से ही टैंकर का पंजीयन हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोली नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
5. **परिवहनकर्ता को निविदा अनुबंध अवधि में भोपाल दुग्ध संघ से अनुबंधित टैंकर को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।**
6. **यदि अनुबंधित टैंकर अनुबंध अवधि में दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त होने या तकनीकी कारणों से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु अनुउपयुक्त हो जाये तो, अनुउपयुक्त टैंकर के स्थान पर समान क्षमता के अन्य टैंकर को दुग्ध परिवहन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ से स्वीकृति उपरांत उपलब्ध करवाना होगा।**
7. **खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा।**
8. **दर प्रस्तुतीकरण ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है। परिवहनकर्ता परिवहन दर प्रस्तुत करते समय प्रतिमाह डिजिटल लॉक/जीपीएस सेन्सर आदि में होने वाले व्यय की गणना को भी ध्यान में रखे।**
9. **प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/–(एक लाख) मात्र Online जमा कर, की प्रति तकनीकि प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रतिभूति राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में समायोजित की जावेगी। सफल निविदाकार को रू. 3,00,000/– (रू. तीन लाख मात्र) प्रति टैंकर की दर सुरक्षानिधि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में औपचारिकता पूर्णता के समय जमा कराया जाना आवश्यक है।**
10. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुखत्यारनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा ।
11. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी ।

12. निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः तीन वर्ष की होगी। निविदा अवधि पूर्ण होने पर कार्य संतोषजनक होने एवं वाहन की स्थिति तथा इन्सूलेशन संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात एक–एक वर्ष करके अनुबंध की अवधि में दो वर्ष की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे।
13. संघ को अच्छी स्थिति के टैंकरों की आवश्यकता है। वर्ष 2018 से पुराने वाहनों हेतु प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा। चूंकि यह निविदा 3+1+1 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। अतः निविदाकारों द्वारा उन्हीं टैंकरों को दुग्ध संघ को उपलब्ध कराया जाऐ जो पांच वर्ष से अधिक समय तक दुग्ध परिवहन कार्य करने के लिए उपयुक्त हो।
14. निविदाकार के पास न्यूनतम 03 टैंकर प्रतिदिन की परिवहन क्षमता का 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, अनुभव के संबंध में कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र में दर प्रस्तुत करना होगी इस हेतु निविदा प्रपत्र रू 1000/– ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
16. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा संघ द्वारा वांछित टैंकर्स उपलब्ध न कराने की दशा में प्राप्त न्यूनतम दर को आधार मानते हुये अन्य समस्त निविदाकारों से न्यूनतम दर पर टैंकर्स लिये जा सकेंगे तथा न्यूनतम दर निविदाकर की भविष्य में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
17. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैंकर संचालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पाई जाने पर प्रतिभूति एवं सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
19. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. प्रदेश से बाहर अन्य डेयरियों से दुग्ध परिवहन किये जाने पर टोल टैक्स भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर वास्तविक भुगतान किया जायेगा।
21. निविदाकार को निविदा में समस्त शर्ते मान्य होंगी एवं निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर न होने की दशा में उनकी निविदा अमान्य की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं. 0755–2450896

ई–मेल– gmplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDULE - III

सफल स्वीकृत निविदाकार/परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्ते :–

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल व अन्य सभी खर्चो कें लिये स्वयं उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
2. टोल टेक्स का वास्तविक व्यय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा वहन किया जाएगा। टोल टेक्स की पर्चिया या विवरण परिवहनकर्ता को अपने मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. दुग्ध संयत्रों से समस्त शीत केंद्रों/डेयरी संयंत्रो की दूरियां सत्यापित की गई है, अथवा की जावेगीं जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी अनुसार भुगतान किया जायेगा।
5. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
6. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर जी.पी.एस.सिस्टम सेन्सर तथा डिजिटल लॉक सिस्टम एवं PH सेन्सर टैंकर में फेब्रिकेशन उपरान्त लगाया जावेगा। जिस पर अनुमानित व्यय रू. 12500/– प्रति माह है, जो कि परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रतिमाह देय होगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि डिजिटल लॉक/जी.पी.एस. सिस्टम/सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा रू. 1,00,000/– की राशि पेनाल्टी स्वरूप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात करते हुये अन्य वैधानिक कार्यवाहियॅा की जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। भविष्य में देय राशि रू. 12500/– में परिवर्तन की भी संभावना है।
7. शीतकेंद्रों से दुग्ध टैंकर को भरकर उसका सैम्पल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौल कर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दुग्ध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील तथा डिजिटल लॉक लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सैम्पल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदानुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

   परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित् कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुॅचायें एवं उसकी दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में कोई अन्तर न आवे। दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में अंतर प्राप्त होने पर संघ को हुई हानि की शत प्रतिशत वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लेक लिस्ट करते हुये उसके विरूद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी साथ ही उसे

देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं देने बाबत सूचना तत्काल दे दी जावेगी।

8. यदि टैंकर पर लगी सील/चेम्बर्स के डिजिटल लॉकिंग सिस्टम हेतु की गई व्यवस्था, डिजिटल लॉक, वॉल्व बॉक्स में स्थापित किये जाने वाले PH सेन्सर एवं जीपीएस सिस्टम में यदि कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रू 50,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
9. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहॉ न्यूनतम रू. 10,000/– का अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।
10. दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।
11. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा एवं समस्त क्षति का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
12. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
13. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी।
14. परिवहनकर्ता स्टाफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टाफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉल्टिंग का रूपये 10,000/– अर्थदंड लगेगा जिसका मिलान सिक्योरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा। अगर रात्रि में टैंकर खाली होने की स्थिति नहीं होने पर टैंकर स्टॉफ संयंत्र परिसर के अंदर नहीं रूकेगा एवं टैंकर की चाबी सुरक्षा अधिकारी के पास जमा करनी होगी।
15. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढ़ाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नही होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 10 मिनिट हेतु पूरे परिवहन काल में एक बार।
16. टैंकरों को क्षमता के अनुसार **R.T.O** से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, सुरक्षा राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट करते हुये थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी। जिसका संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
17. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना–जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

18. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरो की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
19. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
20. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
    (i) टैंकर के पीछे ''दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।'
    (ii) टैंकर के दोनों ओर ''यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया .... नम्बर पर सूचित करें। (नंबर टेंडर फाइनल करने पर बताया जावेगा।)
21. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।
22. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
23. स्वीकृत निविदाकार (परिवहनकर्ता) को भोपाल दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/— के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता रू. 100/— जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
24. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी।
25. परिवहनकर्ता को निर्धारित क्षमता 12000 कि.ग्रा., 15000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के अनुरूप ही दूध परिवहन करना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में अधिक मात्रा परिवहन किये जाने पर अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। दुग्ध संघ द्वारा आवश्यकतानुसार कम मात्रा में दूध परिवहन किये जाने पर अनुमोदित क्षमता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
26. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।
27. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को यह पूर्ण अधिकार होगा कि अनुबंध की तीन वर्ष अवधि उपरान्त एक—एक वर्ष क्रमशः समान दर एवं शर्तो पर आपसी सहमति से बढ़ा सकेंगे। अनुबंध की शर्तों तथा शासकीय अधिनियमों/नियमों की अवहेलना करने पर अनुबंध की अवधि में किसी भी समय अनुबंध निरस्त कर जमा की गयी सुरक्षानिधि राजसात करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
28. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगें।
29. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रू. 5,00,000**/— के साथ—साथ संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर परिवहनकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संघ को हुई अन्य हानियाँ आपके देयकों से समायोजित की जायेगी।
30. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू0 1,00,000/— का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

31. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। **परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित तौर पर देयक प्रस्तुत करना होंगे एवं यदि संघ की वसूली योग्य राशि निकलती है तो सात दिवस में उक्त राशि संघ कार्यालय में जमा कराई जाना होगी। देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में टैंकर का संचालन रोकते हुये वाहन को संयंत्र परिसर में खड़ा रखा जावेगा तथा संघ परिसर में खड़े रखने का रू. 200/– प्रतिदिन चार्ज जमा अमानत राशि से समायोजित किया जावेगा।**
32. यह कि टैंकर में सील एवं लॉक करने के सभी पार्टस लगे हो ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके।
33. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित द्वितीय श्रेणी शासकीय अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस थाने से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुँचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेयरी तक पहुँचाये, यह सामयिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
34. यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद जमा सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।
35. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।
36. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** को होगा ।
37. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उस ट्रिप हेतु रूपये 10,000/–का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
38. निविदा में परिवहनकर्ताओं पर विभिन्न कंडिकाओं में दर्शित अर्थदण्ड को अधिरोपित करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे।
39. यह कि टैकरों की माँग घटाई बढ़ाई जा सकती है ऐसी स्थिति में टैंकर मांगे जाने पर 48 घंटे के अंदर टैंकर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। टैंकर प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष से वसूल किये जावेगे।
40. निविदा की अनुमोदित दर पर एक से अधिक सफल निविदाकार होने की स्थिति में टैंकर्स का परिचालन संघ द्वारा समान अनुपातिक संख्या में किया जावेगा। जो कि समस्त सफल निविदाकारों पर बंधनकारी होगा।
41. परिवहनकर्ता को एक कांम्प्रीहेन्सिव बीमा पॉलिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल ऐक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुग्ध संघ की।
42. किसी भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

    निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल

SCHEDULE - IV

तकनीकी विवरण

1. निविदाकार का नाम – ....
2. पूरा पता – ....
3. फोन नं./मोबाईल नं. (लगातार उपयोग होने वाला) – ....
4. ई–मेल आईडी – ....
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार (दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न करें) – ....
6. रोड मिल्क टैंकर क्षमता – ....
7. आयकर पैन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करे) – ....
8. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में नामित नही किया है इस सम्बंन्ध में शपथ पत्र रू. 100/– (नोटरी द्वारा सत्यापित) – ....
9. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है। (दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र एवं अन्य दुग्ध संयंत्र)– ....
10. GST नं. (छायाप्रति संलग्न करें) – ....
11. मॉडल तथा मेक – ....
12. FSSAI पंजीयन/लाईसेंस (छायाप्रति संलग्न करें) – ....

निविदा फार्म में उपरोक्त दस्तावेज अपूर्ण अथवा संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा अमान्य की जावेगी। भोपाल दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम –
मोबाइल नं.–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लाँट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फेक्स,नं: 0755–2450896

ई–मेल. gmplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDULE - V

दर प्रस्तुतीकरण पत्रक

(RATES SHOULD BE SUBMITTED IN THIS FORMAT)

FINANCIAL BID

क्रं.	विवरण	टैकर की क्षमता	टैंकर नियोजन संख्या *	दर प्रति कि.मी.
1.	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रो से भोपाल डेयरी संयंत्र, प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों की डेयरी संयंत्रो से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु 12000 कि.ग्रा., 15000 कि.ग्रा., एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना।	19000 कि.ग्रा. (सिंगल चेंबर टैंकर)	25	
2.	––''––	15000 कि.ग्रा. (सिंगल चेंबर टैंकर)	04	
3.	––''––	12000 कि.ग्रा. (सिंगल चेंबर टैंकर)	05	

* तीनों ही क्षमताओं के टैंकरों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

नोटः– हाई स्पीड डीजल की वर्तमान दर दिनांक .... अनुसार परिवहन दर प्रस्तुत।

नाम –

हस्ताक्षर –

पता–

मोबाईल नंबर –

AGREEMENT FOR HIRING OF ROAD MILK TANKER FOR THE TRANSPORTATION OF MILK

THIS AGREEMENT IS MADE THE DAY_______________between Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, through its CHIFE EXECUTIVE OFFICER (hereinafter called, the FIRST PARTY, which expression shall, where the context be to include his successor in the office) And .... (herein after called the Transporter), Which expression shall, where the context so admit, includes his heirs, executors, successors and assignees on the SECOND PARTY.

WHEREAS THE Transporter has offered to provide ________ Nos. of Road Milk Tankers for the transportation of Milk on hiring basis, vide his tender offer No._____-____ Dt. after negotiations held on ------------

WHEREAS Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, has adgreed to hire Insulated Road Milk Tanker for the Transportation of Milk in the State of Madhya Pradesh, the said article from the transporter/supplier, on the approved rates, which are as following :

S.NO	Capacity	Rates within Madhya Pradesh
1.		
2.		
3.		

Now therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as following.

1. The approved rates shall be valid for three years from the date of approval of the rates and agreement shall be effected from date .
   In case of price revision of diesel, the rate will be revised proportionately considering number of Kilometers limit,
2. The said article shall be providing milk as per dispatch schedule.
3. The terms and conditions are agreed as per the Complete tender. document.

Signature:	Signature:
IInd party	I st party CEO
Name ______________________ Address ____________________	Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit Habibganj Bhopal - 462024
Witness: 1.____________________ 2.____________________	Witness: 1. __________________ 2. _________________

वचन –पत्र

मैं............................आत्मज.............................आयु..........लगभग.....................निवासी..............................भोपाल दुग्ध संघ में.................कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हू। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/संचालक/दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....
पता ....
....

सत्यापन

मैं.. उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण सत्य होकर विश्वसनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम ....
पता ....
....
....